

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191] दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10, 2010/अग्रहायण 19, 1932 [रा.रा.क्षे. दि. सं. 219
No. 191] DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 2010/AGRAHAYANA 19, 1932 [N.C.T.D. No. 219

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.

शहरी विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2010

फा. सं. 4(7)/यू.डी./डीयूएसआईबी/2010/20020-20044.—दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 07) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उक्त अधिनियम के उद्देश्यों पर कार्य करने के लिए "दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड" (इसके पश्चात् जिसे "बोर्ड" कहा गया है) नामक प्राधिकरण का गठन करते हैं :—

2. इस बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे अर्थात् :—

- | | |
|---|--------------------------|
| (i) मुख्यमंत्री, रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार | —अध्यक्ष |
| (ii) मंत्री शहरी विकास विभाग, रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार | —उपाध्यक्ष |
| (iii) श्री अमरनाथ, आई. ए. एस. | —मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| (iv) श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (बिट्टू), विधायक | —सदस्य |
| (v) श्री प्रहलाद सिंह साहनी, विधायक | —सदस्य |
| (vi) श्री एस. पी. रातावाल, विधायक | —सदस्य |
| (vii) पार्षद, दिल्ली नगर निगम | —मनोनीत किया जाना है |
| (viii) पार्षद, दिल्ली नगर निगम | —मनोनीत किया जाना है |

- | | |
|---|------------------------|
| (ix) श्री गोपाल के सक्सेना, मु. का. अ., बी.एस.ई.एस. | —सदस्य (ऊर्जा) |
| (x) सदस्य (अभियान्त्रिकी) | —नियुक्त किया जाना है |
| (xi) सदस्य (वित्त) | —नियुक्त किया जाना है |
| (xii) सदस्य (प्रशासन) | —नियुक्त किया जाना है |
| (xiii) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण | —पदेन |
| (xiv) आयुक्त, दिल्ली नगर निगम | —पदेन |
| (xv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड | —पदेन |
| (xvi) अध्यक्ष, नई दिल्ली पालिका परिषद् | —पदेन |
| (xvii) प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग, रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार | —पदेन |
| (xviii) डॉ. एम.एम.कुट्टी, संयुक्त सचिव (डी.एल.), प्रतिनिधि, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार | —पदेन |
| (xix) श्री के. धर्मराजन, पूर्व सचिव (शहरी विकास), भारत सरकार | —विशेषज्ञ (गैर-सरकारी) |
| (xx) श्रीमती रेखा दीवानी, वास्तुकार नियोजक | —विशेषज्ञ (गैर-सरकारी) |

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
बी. वी. सेल्वरज, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 10th December, 2010

F. No. 4(7)/UD/DUSIB/2010/20020-20044.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 (Delhi Act 07 of 2010), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby, constitutes an authority to be called "The Delhi Urban Shelter Improvement Board" (hereinafter referred to as "the Board") for carrying out the purposes of the said Act in the National Capital Territory of Delhi.

2. The Board shall consist of the following namely:—

- | | | | |
|--|--------------------------|--|------------------------|
| (i) Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi | —Chairperson | (ix) Shri Gopal K. Saxena, CEO, BSES | —Member (Power) |
| (ii) Minister of Urban Development, Government of NCT of Delhi | —Vice-Chairperson | (x) Member (Engineering) | —To be appointed |
| (iii) Shri Amar Nath, IAS | —Chief Executive Officer | (xi) Member (Finance) | —To be appointed |
| (iv) Shri Surinder Pal Singh (Bittoo), MLA | —Member | (xii) Member (Administration) | —To be appointed |
| (v) Shri Prahlad Singh Sawhney, MLA | —Member | (xiii) Vice Chairman, Delhi Development Authority | —ex-officio |
| (vi) Shri S.P. Ratawal, MLA | —Member | (xiv) Commissioner, Municipal Corporation of Delhi | —ex-officio |
| (vii) Councillor, Municipal Corporation of Delhi | —To be nominated | (xv) Chief Executive Officer, Delhi Jal Board | —ex-officio |
| (viii) Councillor, Municipal Corporation of Delhi | —To be nominated | (xvi) Chairperson, New Delhi Municipal Council | —ex-officio |
| | | (xvii) Principal Secretary, Department of Urban Development, Government of NCT of Delhi | —ex-officio |
| | | (xviii) Dr. M.M. Kutty, Joint Secretary (DL), Representative of Ministry of Urban Development, Government of India | —Ex-officio |
| | | (xix) Shri K. Dharmarajan, Former Secretary (UD) Govt. of India | —Expert (Non-official) |
| | | (xx) Mrs. Rekha Dewani, Architect Planner | —Expert (Non-official) |

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

B. V. SELVARAJ, Prl. Secy.